जयमाला बनाम जगदीश

252/2020

27/5/24 पत्रावली पेश हुई। वादी व उसके अधि० उपस्थित नहीं। ना ही वादी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 14/10/20 व 12/9/23 की पालना में प्रतिवादीगण के श्री० ए०डी०ओ० द्वारा तलबाना पेश किया है अतः वादी का वाद O-9 R-5 (Non-Compliance) के आधार तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली सैकल शुमार हो, दर्ज रजिस्टर से आदेश बाद तकमील दफ्तर हो।

आज — याचिका
का — साक्ष्य
अन्य राज — पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 24/6/24 का पक्ष

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर जिला (जयपुर)

Reader
97
14/10/20

मालय माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर

संख्या :- 252/2020

माला पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण उम्र 45 वर्ष जाति बैरवा
सी ग्राम कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
की पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण उम्र 16 वर्ष जरिये संरक्षक
जयमाला पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम
गवाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

———————

बनाम

गदीश पुत्र किशन लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कपूरावाला
हसील सांगानेर जिला जयपुर।
मता पुत्री कैलाश पौत्री किशन लाल संरक्षक जरिये नाना
मलाल निवासी ग्राम विरमपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
नाल पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र 21 वर्ष जाति बैरवा निवासी
ाम कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
क ऑफ इण्डिया सांगानेर जिला जयपुर जरिये प्रबंधक।
हसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

———————प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

जी,

जयमाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:22:31 IST
Reason: SelfAttested